



सार्वजनिक सूचना संख्या 04/2024 दिनांक 28.03.2024

मुखबिरों के लिए इनाम

यह सार्वजनिक सूचना भारत सरकार की मौजूदा इनाम योजना का प्रसार करने के लिए जारी की जा रही है, जिसके तहत उन मुखबिरों को पुरस्कार दिए जाते हैं जो विशिष्ट जानकारी प्रदान करते हैं जिससे सामान, मुद्रा, नारकोटिक्स आइटम, सर्राफा की जब्ती होती है या मात्रा, विवरण, मूल्य की गलत घोषणा सहित शुल्क चोरी का पता चलता है। मुखबिरों को इनाम की अधिकतम राशि जब्त किए गए सामान के मूल्य और वसूले गए जुर्माने का 20% तक हो सकती है।

इस योजना में सोने के संबंध में अधिकतम इनाम 1500/- रुपये प्रति 10 ग्राम, चांदी के लिए 3000/- रुपये प्रति किलोग्राम, अफीम के लिए 6000/- रुपये प्रति किलोग्राम, हेरोइन और इसके लवण के लिए 1,20,000/- प्रति किलोग्राम रुपये, कोकीन के लिए 2,40,000/- रुपये प्रति किलोग्राम और हशीश के लिए 2000/- रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि सूचना से शुल्क चोरी का पता चलता है तो मुखबिर को इनाम के रूप में शुल्क चोरी का अधिकतम 20% और वसूले गए जुर्माने/दंड का 20% दिया जा सकता है।

यदि आपके पास राजस्थान सीमा शुल्क के अधिकार क्षेत्र में तस्करी गतिविधियों के संबंध में देने के लिए कोई विशेष जानकारी है, तो आप <https://www.rajsthancustoms.gov.in/contactus.aspx> पर सूचीबद्ध सीमा शुल्क विभाग के किसी भी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

नीचे सूचीबद्ध मोबाइल नंबर विशेष रूप से मुखबिरों से आसूचना और जानकारी प्राप्त करने के लिए नामित किए गए हैं। सूचना देने वाले का नाम एवं पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जायेगी।

क्र. स.	पदनाम	मोबाइल न.
1	उपायुक्त (निवारक), सीमा शुल्क राजस्थान	7597509273
2	उप /सहायक आयुक्त सीमा शुल्क संभाग-जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर	9428055762 9426561908
3	उप /सहायक आयुक्त सीमा शुल्क एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू), अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर	9530009411

(सुग्रीव मीना)

आयुक्त सीमा शुल्क राजस्थान